



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 253]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010

का.आ. 295(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में अधिसूचना सं. का.आ. 1439(अ), तारीख 21 अगस्त, 2007 का राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मद संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“4. श्री एस. सी. गुप्ता —निदेशक (संयुक्त सचिव),
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग”

[सं. 40020/20/2007-सीएच. I]

एस. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2010

S.O. 295(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification *vide* No. S.O. 1439(E), dated 21st August, 2007 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for item number 4 and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted, namely :—

“4. Shri S. C. Gupta —Director (Joint Secretary),
Department of Chemicals
and Petro-chemicals.”

[No. 40020/20/2007-CH. I]

S. C. GUPTA, Jt. Secy.